रजिस्ट्री सं० डी०—(डीएम)—128/91 REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 12, 1991 (पौष 22, 1912)
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 12, 1991 (PAUSA 22, 1912)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय—सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	37
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	23
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	*
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	51
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम अध्यादेश, और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड—3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	41
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	27
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	7
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	3
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

401 GI/91

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolution issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	37
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	23
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	51
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i) General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)— Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii) Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	41
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	27
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	7
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private individuals and Private Bodies	3
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1990

संकल्प

सं० फा० 4(1)/90-हिन्दी—संसदीय कार्य मंत्रालय के समसंख्यक दिनांक 3-8-90 के आंशिक आशोधन में, श्री विश्वेन्द्र सिंह, सदस्य लोक सभा (जनता दल) जिन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है, के स्थान पर श्री हर्ष वर्धन, सदस्य लोक सभा को इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति पर सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और मंत्रि-मण्डल कार्य विभाग का वेतन तथा लेखा कार्यालय, नई दिल्ली को भेजा जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

विशन स्वरूप बंसल, उप सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1990

संकल्प

सं० ई-11011/38/90-हिंदी—भारत सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। समिति का गठन और उसके कार्य आदि निम्नलिखित होंगे :—

1.	वाणिज्य मंत्री	अध्यक्ष
2.	वाणिज्य उप मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	डा० रत्नाकर पाण्डेय, संसद सदस्य	सदस्य
4.	श्री चित्त बसु, संसद सदस्य	सदस्य
5.	श्री अनंत राम जायसवाल, संसद सदस्य	सदस्य
6.	श्रीमती चन्द्रिका केनिया, संसद सदस्य	सदस्य
7.	श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, संसद सदस्य	सदस्य
8.	श्री धर्मपाल शर्मा, संसद सदस्य	सदस्य
9.	श्री वेलायुधन नायर	सदस्य
10.	डा० श्यामा चरण तिवारी	सदस्य
11.	डा० संतशरण अवस्थी	सदस्य
12.	डा० राम मनोहर त्रिपाठी	सदस्य
13.	प्रधान, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्	सदस्य
14.	अखिल भारतीय हिंदी संस्था का प्रतिनिधि	सदस्य
15.—17.	राजभाषा विभाग द्वारा नामित तीन विद्वान	सदस्य
18.	सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार	सदस्य
19.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य

अधिकारीगण, वाणिज्य मंत्रालय

20.	वाणिज्य सचिव	सदस्य
21.	विशेष सचिव	सदस्य
22.	अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार	सदस्य
23.	मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात	सदस्य
24.	वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी के महानिदेशक, कलकत्ता	सदस्य
25.	अध्यक्ष, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली	सदस्य
26.	अध्यक्ष, मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली	सदस्य
27.	निदेशक, निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली	सदस्य
28.	अध्यक्ष ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इंडिया, नई दिल्ली	सदस्य
29.	कार्यकारी निदेशक, ट्रेड डेवलपमेंट अथारिटी,	सदस्य
30.	महानिदेशक, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
31.	अध्यक्ष, चाय बोर्ड, कलकत्ता	सदस्य
32.	अध्यक्ष, काफी बोर्ड, बंगलौर	सदस्य
33.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, निर्यात ऋण गारंटी निगम, मुंबई	सदस्य
34.	विकास आयुक्त काण्डला मुक्त व्यापार जोन, गांधी धाम	सदस्य
35.	विकास आयुक्त, सान्ताक्रुज इलैक्ट्रानिक्स निर्यात संसाधन जोन, मुंबई	सदस्य
36.	अध्यक्ष, भारतीय पेकेजिंग संस्थान, मुंबई	सदस्य
37.	अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड गुन्टूर	सदस्य
38.	अध्यक्ष, मसाला बोर्ड, कोचीन	सदस्य

39. अध्यक्ष, रबड़ बोर्ड, कोट्टायम — सदस्य
40. अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन — सदस्य
41. अपर सचिव (पूर्ति) — सदस्य
42. वित्त सलाहकार (पूर्ति) — सदस्य
43. संयुक्त सचिव (पूर्ति) — सदस्य
44. महानिदेशक (पूर्ति तथा निपटान) — सदस्य
45. महानिदेशक (राष्ट्रीय परीक्षणशाला) कलकत्ता — सदस्य
46. संयुक्त सचिव (प्रभारी हिंदी कार्य), वाणिज्य मंत्रालय — सदस्य-सचिव

कार्य

2. इस समिति का कार्य सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों में मंत्रालय को सलाह देना और समुचित निर्णय कराना होगा।

कार्य-अवधि

3. समिति का कार्यकाल, निम्नलिखित व्यवस्था के साथ उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा,

(1) समिति में नामजद संसद सदस्य जब संसद सदस्य नहीं रहेंगे तो इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।

(2) अवधि के बीच में रिक्त हुआ स्थान, संबंधित सदस्य के स्थान पर उसके पद पर आने वाले व्यक्ति से भरा जाएगा और यह नया व्यक्ति तीन वर्ष की अवधि के बचे समय के लिए सदस्य होगा।

4. **विविध**

(1) समिति आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी।

(2) समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य नगर में भी कर सकती है।

5. **यात्रा व अन्य भत्ता**

समिति और इस समिति की उप-समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ-शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों तथा आयोगों आदि को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुरेन्द्र कुमार सूद, संयुक्त सचिव

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार आयोग)

नई दिल्ली 110001, दिनांक 19 दिसम्बर 1990

विषय : दूरसंचार विभाग के पुनर्गठन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन।

सं० 2-1/90-टी०सी०ओ०—देश के आर्थिक विकास तथा राष्ट्रीय एकता के लिए दूर-संचार एक प्रमुख आधारभूत संरचना है। जनता की बढ़ती हुई आकांक्षाओं और दूरसंचार का व्यापक रूप से विस्तार करने के साथ-साथ उच्च टैकनॉलॉजी प्रारंभ करने की दिशा में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अति सशक्त ढांचे की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। इसीलिए अप्रैल, 1986 में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और मई, 1989 में दूरसंचार आयोग का गठन किया गया था। तथापि इन दो अलग-अलग ढांचों से कुछ समस्याएं पैदा हो गई हैं जिन पर सरकार को तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः ये अनिवार्य हो गया है कि समूचे संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा की जाए। और आगामी दशक में दूरसंचार सेवाओं के प्रबंध के लिए अति उपयुक्त ढांचा तैयार करने के बारे में सरकार को सलाह दी जाए। अतः सरकार ने इन मामलों की जांच करने तथा इन से संबंधित सिफारिशें देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।

2. समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

1. डा० एम० बी० अत्रेय, प्रबंध विशेषज्ञ — अध्यक्ष
2. श्री वी० कृष्णामूर्ति, पूर्व अध्यक्ष, एस०ए०आई०एल० — सदस्य
3. श्री एस०जी० पित्रोदा, अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग — सदस्य
4. श्री एम० विट्ठल, सचिव, इलैक्ट्रानिकी विभाग — सदस्य
5. श्री एच०पी० वागले, सदस्य (सेवाएं) दूरसंचार आयोग — सदस्य
6. श्री एम०पी० शुक्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंधकीय निदेशक, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड — सदस्य
7. श्री पी०बी० देसाई, महा लेखा नियंत्रक — सदस्य
8. श्री ओ०पी० गुप्ता, कर्मचारियों के प्रतिनिधि — सदस्य
9. श्री एस०आर० पई, उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि — सदस्य

3. समिति के विचारणीय विषय इस प्रकार हैं :—

देश में निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर दूरसंचार सेवाओं के प्रबंध के लिए दूरसंचार विभाग के उपयुक्त संगठनात्मक ढांचे की सिफारिश करना :—

प्र... कार्यक्षमता और ग्राहक सेवा संबंधों का उत्थान।

(ख) सारे देश में उद्योग, वाणिज्य और प्रशासन की बढ़ती हुई जरूरतों को संतुलित और सुगम तरीके से पूरा करने के लिए दूरसंचार सेवाओं की अवसंरचना का विकास।

(ग) उत्पादकता में सुधार और प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की शुरूआत।

(घ) विद्यमान मूल्यों से जुड़ी नई दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रभावी नियामक ढांचे की स्थापना

(ङ) औद्योगिक सौहार्दता और दूरसंचार कर्मचारियों के रोजगार जीवन के स्तर में सुधार।

(च) दूरसंचार क्षेत्र के वृहद विस्तार कार्यक्रम को शुरू करने के लिए उपयुक्त संसाधन जुटाना

(छ) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार की वचनबद्धता।

4. समिति अपनी सिफारिशें करते समय, विशेष तौर से दूरसंचार आयोग के अधीन विद्यमान व्यवस्था की समर्थता और कमजोरी, सरकारी विभाग और एम०टी०एन०एल युक्त वर्तमान ढांचे, कर्मचारियों पर पड़ने वाले इस के प्रभाव सहित उनकी स्थिति, वैकल्पिक मॉडल और सम्बन्धित वित्तीय तथा अन्य विविक्षाओं, आवश्यक सेवाओं के प्रति जनता की विश्वसनीयता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अन्य संबंध पहलुओं को ध्यान में रखेगी। समिति द्वारा सुझाए गए ढांचे में विभाग और फील्ड कार्यालयों को दी जाने वाली शक्तियों के बीच उचित संतुलन और संसद के समक्ष सरकार के उत्तरदायित्व पर विशेष ध्यान देते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण बरकरार रखने पर जोर दिया जाएगा।

5. समिति अपने कार्यों में किसी भी अन्य अधिकारी अथवा एजेन्सियों की सहायता ले सकती है।

6. समिति के गैर-सरकारी सदस्य वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 5-9-1960 के उनके का०ज्ञा०सं० एफ 6(26)ई-IV 59 के अनुसार यात्रा भत्ता तथा अपना कार्य चलाने के लिए अन्य जरूरी सुविधाएं पाने के हकदार होंगे।

बी० एम० भागवत, अपर सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 11th December 1990

RESOLUTION

No. F. 4(1)/90-Hindi.—In partial modification of Ministry of Parliamentary Affairs Resolution of even number dated 3-8-1990 Shri Harsh Vardhan, Member (Lok Sabha) has been nominated as a Member of Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs in place of Shri Vishwendra Singh, Member, Lok Sabha (Janta Dal) who has resigned from the Membership of the Lok Sabha.

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be forwarded to all States Governments and Union Territories Administrations, All Ministries and Departments of the Government of India, President's Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Lok/Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India; and Pay and Accounts Officer, Cabinet Affairs, New Delhi.

It is also ordered that this Resolution may be published in the Gazette of India for information of the public.

V. S. BANSAL, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 11th December 1990

RESOLUTION

No. E-11011/38/90-Hindi.—The Government of India have decided to reconstitute the Hindi Advisory Committee of Ministry of Commerce. The Composition and function etc. of the Committee shall be as follows :—

Chairman

1. Minister of Commerce

Vice-Chairman

2. Deputy Minister for Commerce

Members

3. Dr. Ratnakar Pandey, M.P.
4. Shri Chitta Basu, M.P.
5. Shri Anant Ram Jaiswal, M.P.
6. Smt. Chandrika Kenia, M.P.
7. Shri Ramashrya Prasad Singh, M.P.
8. Shri Dharam Pal Sharma, M.P.
9. Shri Velayudhan Nair
10. Dr. Shyama Charan Tiwari
11. Dr. Sant Sharan Awasthi
12. Dr. Ram Manohar Tripathi
13. President, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad.
14. Member from All India Hindi Institute

15—17. Three Scholars nominated by Official Language Department.

18. Secretary (Department of Official Language & Hindi Advisor to the Government of India
19. Joint Secretary, Department of Official Language.

Officials—Ministry of Commerce

20. Commerce Secretary
21. Special Secretary
22. Additional Secretary & Financial Advisor
23. Chief Controller of Imports & Exports
24. Director General of Commercial Intelligence & Statistics, Calcutta.
25. Chairman, State Trading Corporation of India, New Delhi.
26. Chairman, Minerals and Metals, Trading Corporation of India, New Delhi
27. Director, Export Inspection Council, New Delhi
28. Chairman, Trade Fair Authority of India

29. Executive Director, Trade Development Authority, New Delhi

30. Director-General, Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi

31. Chairman, Tea Board, Calcutta

32. Chairman, Coffee Board, Bengalore

33. Chairman-cum-Managing Director, Export Credit & Guarantee Corporation, Bombay

34. Development Commissioner, Kandla Free Trade Zone, Gandhi Dham

35. Development Commissioner, Santa Cruz Electronics Export Processing Zone, Bombay

36. Chairman, Indian Institute of Packaging, Bombay

37. Chairman, Tobacco Board, Guntur

38. Chairman, Spices Board, Cochin

39. Chairman, Rubber Board, Kottayam

40. Chairman, Marine Products Export Development Authority, Cochin.

41. Additional Secretary (Supply)

42. Financial Advisor (Supply)

43. Joint Secretary (Supply)

44. Director-General (Supplies & Disposals)

45. Director (National Test House, Calcutta)

46. Joint Secretary (Incharge Hindi Work), Ministry of Commerce.

(2) *Function*

The function of the Samiti will be to advise the Ministry on matters relating to progressive use of Hindi for official purposes and intaking appropriate decisions.

(3) *Tenure*

The term of the Samiti will be three years from the date of its formation, provided that :—

(i) A Member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

(ii) Any mid-term vacancy shall be filled up by the concerned Members successor in office, who shall be a Member for the residue of the term of three years.

General

(i) The Committee may coopt additional members and invite experts to attend its meeting as may be deemed necessary.

(ii) Headquarters of the Samiti will be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

(5) *Travelling and other Allowances*

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti and one sub-committee of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Government and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Election Commission, Union Public Service Commission, Staff Selection Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, A.G.C.R. and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SURENDRA KUMAR SOOD,
Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(TELECOM COMMISSION)

New Delhi-110001, the 19th December 1990

Subject : *Constitution of a High Level Committee for reorganisation of the Telecom Department.*

No. 2-1/90-TCO.—Telecom is a basic infrastructure which is vital to the economic development of the country and national integration. To respond to the growing expectations of the people as well as the need for massive expansion and induction of high technology a more responsive structure to administer the terecom services was felt necessary and accordingly MTNL was created in April, 1986 and a Telecom Commission was formed in May, 1989. However, the duality of the structure seems to have created certain problems which need immediate attention of the Government. Hence it has become necessary to review the entire organisational structure and advise Government on the most appropriate structure for the management of Telecom Services over the next decade. Government, has, therefore, decided to appoint a High Level Committee to look into these matters and to make recommendations.

2. The Members of the Committee are as follows :—

Chairman

1. Dr. M. B. Athreya
Management Expert

Members

2. Shri V. Krishnamoorthy
Former Chairman, SAIL

3. Shri S. G. Pitroda
Chairman Telecom Commission

4. Shri N. Vittal
Secretary,
Department of Electronics

5. Shri H. P. Wagle
Member (Services) Telecom Commission.

6. Shri M.P. Shukla
CMD, MTNL

7. Shri P.V. Desai
Controller
General of Accounts,
New Delhi.

8. Shri O.P. Gupta
Representative of Labour

9. Shri M.R. Pai
Representative of Consumer Interest.

3. The terms of Reference of the Committee are as follows :—

To recommend the appropriate organisational structure in the Telecom Department for management of Telecom Services in the country with the following objectives :—

(a) Upgradation of operating efficiency and customer services/relations.

(b) Development of infrastructure of Telecom Services to meet growing needs of Industry, Commerce and Administration all over the country in a balanced and smooth manner.

(c) Improvement of productivity and introduction of the technological changes.

(d) Establishment of an effective regulatory framework for existing and new value added telecom services;

(e) Improvement in industrial harmony and quality of work life of telecom employees;

(f) Raising of adequate resources to meet the massive expansion programme of telecom sector; and

(g) Commitment of Government to provide telecommunication servicese in Rural Areas and meet other social objectives.

4. The Committee while making its recommendations will take into consideration the strength and weakneseses of the existing set-up under the Telecom Commission, in particular the present structure consisting of Government department and MNTL, the possible alternative models and associated financial and other implications, including impact on existing staff, public accountability of the essential service and other relevant factors such as national security. The structure should strike a proper balance between delegations of powers to the department and further to field formations and retention of controls with the Government in some critical areas especially in view of the answerability of the Government before the Parliament.

5. The Committee may seek the help of any other personnel or agencies in the discharge if its assignment. The Committee shall submit its report by 20th February, 1991.

6. The non-official members of the Committee would be entitled to travelling allowances as per Ministry of Finance O.M. No. F. 6(26)-E.IV/59 dated 5-9-1960, as amended from time to time and other facilities necessary for carrying out the assignment.

B. N. BHAGWAT,
Addl. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित—1991
Printed by the Manager, Government of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi, 1991